

| क्र.सं. | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---------|---|---|
| 2 | | 3 |
| 19123 | <p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>लोकनाथ महतो, पिता प्यारी महतो, ग्राम-कांडतरी, टोला खैरातरी, थाना-बड़कागांव, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-बड़कागांव, ग्राम-कांडतरी, थाना नं०-67, खाता संख्या-64, प्लॉट संख्या-1898, रकबा-03 डी० भूमि पारसनाथ प्रसाद, पिता बंशी महतो, ग्राम-पलांडू, पंचायत-तलसवार, थाना-बड़कागांव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-745/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-3914/रा० दिनांक-28.10.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, बड़कागांव को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, बड़कागांव हजारीबाग के पत्रांक 356 दिनांक 21.03.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, बड़कागांव हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं एक ही जिला हजारीबाग के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत सतराम कुर्मी हैं। खतियान के अनुसार धरित कुल रकबा 11.18 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धरित रकबा 7.81 ¼ एकड़ है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-87/1 पर झुबलाल महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं वर्ष 2010-11 तक लगान रसीद निर्गत है। आवेदक द्वारा धरित कुल रकबा/आवेदक के हिस्से की भूमि 7.81 ¼ एकड़ है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकबा 7.78 ¼ एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा की छायाप्रति प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> | |

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश की कार्यवाही की तिथि |
|------------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | <p>अंचल अधिकारी, बड़कागांव हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, बड़कागांव हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में लोकनाथ महतो, पिता प्यारी महतो, ग्राम-कांडतरी, टोला खैरातरी, थाना-बड़कागांव, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-बड़कागांव, ग्राम-कांडतरी, थाना नं0-67, खाता संख्या-64, प्लॉट संख्या-1898, रकबा-03 डी0 भूमि पारसनाथ प्रसाद, पिता बंशी महतो, ग्राम-पलांडू, पंचायत-तलसवार, थाना-बड़कागांव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अपर समाहत्ता, हजारीबाग।</p> | <p>अपर समाहत्ता, हजारीबाग।</p> |